समाचार

मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र कंपनी द्वारा उपभोक्ता को सलाह

अनधिकृत सेवा प्रदाताओं के माध्यम से न करें बिजली बिल का भुगतान

जबलपुर, 22 मई। मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्‍युत वितरण कंपनी ने जबलपुर, सागर, शहडोल व रीवा संभाग के सभी उपभोकताओं से अनुरोध किया है कि वे अपने बिजली बिलों का भुगतान स्मार्ट बिजली एप्प या ऑनलाइन भुगतान के तरीकों से कर सकते हैं। पूर्व क्षेत्र कंपनी ने उपभोक्ताओं से कहा कि ‘कोरोना काल’ के अलावा सामान्य दिनों में भी कई उपभोक्ताओ द्वारा बिजली बिलों का भुगतान कुछ ऐसे सेवा प्रदाताओं (सर्विस प्रोवाइडर) को किया जा रहा है, जो कि बिजली बिलों के भुगतान प्राप्त करने के लिए कभी भी कंपनी द्वारा अधिकृत नहीं किए गए हैं। ऐसे अनधिकृत सेवा प्रदाता प्राय: सभी शहरों, कस्बों या ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर सेंटर या ऑनलाइन सर्विस सेंटर के माध्यम से बिजली बिलों को जमा कर रहे हैं।

कुछ बिजली उपभोक्ताओं द्वारा ऐसे सेवा प्रदाताओं को बिजली के बिल की राशि सौंप दी जाती है तथा इन सेवा प्रदाताओं द्वारा उपभोक्ताओं को कंप्यूटर जनरेटेड रसीद प्रदान कर बिजली बिल भुगतान की पुष्टि की जा रही है। सेवा प्रदाताओं द्वारा इस प्रकार का कार्य अवैधानिक रूप से किया जा रहा है। ऐसे लोगों द्वारा कई उपभोक्ताओं की राशि जमा नहीं की जा रहीं है जिससे उनके चालू बिजली बिल में पिछले बिलों की राशि जुड़ती जा रही है। इन साधनों के माध्यम से बिजली बिल की राशि जमा करने वाले उपभोक्ता परेशान हो कर बिजली कम्पनी के कार्यालयों में शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं।

मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्‍युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली बिलों का ऑनलाइन भुगतान करने पर जो पावती जनरेट होती है, उसमें कंपनी का प्रतीक चिन्ह या लोगो प्रदर्शित होता है। कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु बिजली बिल के ऑनलाइन भुगतान के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड के एटीएम पिन, इंटरनेट बैंकिंग, वेलट/केश कार्ड, क्यू आर कोड (QR Code), विभिन्न यूपीआई जैसे माध्यम उपलब्ध करवाए गए हैं। कंपनी द्वारा बिजली बिलों का भुगतान करने के लिए एटीपी मशीनों की सुविधा भी प्रदान की गई हैं ।